

फर्द अहकाम

(आदेश 24 नियम 07, आदेश 32 नियम 3)

अज अदालत : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ (राज.)

राज्य


बनाम

किस्म मुकदमा : नियमित दांडिक

26

प्रकरण संख्या :

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुय
14.03.2026	<p>अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियोजन अधिकारी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 360 भा.ना.सु.सं. (321 दं.प्र.सं.) में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-10) विभाग के पत्र क्रमांक प.16(02)ल.प्र./गृह-10/2023/पार्ट जयपुर, दिनांक यथा ई हस्ताक्षर 12.03.2026 द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के उन दर्ज प्रकरणों में जिनमें आरोप पत्र दिनांक 31.01.2026 तक न्यायालय में पेश हो चुका है, अभियुक्त द्वारा प्रथम बार अपराध कारित किया गया है तथा बरामदगी में 10 लीटर तक शराब जब्त की गई है, उन प्रकरणों में लोकहित/न्यायहित में विज्ञा किये जाने के आदेश प्रदान किए गए है। अतः हस्तगत प्रकरण को उक्त राज्य सरकार के आदेश की पालना में विज्ञा करने की अनुमति प्रदान की जाए।</p> <p>सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अंतर्गत आरोप पत्र दिनांक 31.01.2026 तक पेश हो चुका है। अभियुक्त का आबकारी अधिनियम में प्रथम बार अपराध कारित किया गया है और अभियुक्त से बरामदगी 10 लीटर तक शराब की है।</p> <p>हस्तगत प्रकरण के उक्त समस्त तथ्य राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-10) विभाग के पत्र क्रमांक प.16(02)ल.प्र./गृह-10/2023/पार्ट जयपुर, दिनांक यथा ई हस्ताक्षर 12.03.2026 में वर्णित तथ्यों की प्रकृति के है। अतएव समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं राज्य सरकार द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना में हस्तगत प्रकरण को धारा 360 भा.ना.सु.सं. (321 दं.प्र.सं.) विज्ञा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।</p> <p>अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण विज्ञा करने के कारण पत्रावली में अब कोई अन्य कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 16 /54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।</p> <p>प्रकरण में जब्तशुदा माल बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखील दफ्तर किया जावे। आदेशीका आज ही सीआइएस पर अपलोड की जावे।</p>	


सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत


अध्यक्ष

राष्ट्रीयलोक अदालत